भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1229
11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महिला उद्यमी

1229. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दस बैंकों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से क्या विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं और ये उद्देश्य किस प्रकार दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एकल महिला उद्यमियों के लिए ऋण पहुंच को सुगम बनाते हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की चुनौतियों, विशेषकर स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों के बीच उच्च स्तर के उद्यमों हेतु व्यक्तिगत वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए इन समझौता ज्ञापनों को किस प्रकार तैयार किया गया है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी क्या है;

(ग) यह पहल **ग्रामीण विकास** और रोजगार सृजन के लिए एक समेकित कार्यनीति तैयार करने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और एनआरएलएम जैसी वर्तमान योजनाओं के साथ किस प्रकार एकीकृत होती है; और

(घ) यह पहल किस प्रकार से "लखपति दीदी" की परिकल्पना के अनुरूप है और महिलाओं की आजीविका बढ़ाने, विशेषकर स्व-सहायता समूह के सदस्यों को वार्षिक रूप से न्यूनतम 1,00,000 घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के संबंध में इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) को वर्ष 2011 में ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने, तथा उन्हें आर्थिक गतिविधियों में तब तक निरंतर सहायता और पोषण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जब तक कि समय के साथ उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि न हो जाए और वे अत्यंत गरीबी से बाहर न आ जाएं।

अब तक कुल मिलाकर 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। डीएवाई-एनआरएलएम सामुदायिक संस्थाओं को अपनी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मुख्यधारा बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाने हेतु स्थायी संसाधन बनाने के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। प्रदान की गई पूंजीगत सहायता (परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि) की कुल राशि 48,290 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा, जनवरी, 2025 तक संवितरित कुल बैंक ऋण 9.89 लाख करोड़ रुपये हैं।

परिपक्व स्वयं सहायता समूह सदस्यों को व्यक्तिगत उद्यमियों के रूप में विकसित करने तथा लखपति दीदीयां बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय व्यवस्थित कदम उठा रहा है। इस दिशा में, महिलाओं को उनके व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु ग्यारह बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिन बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं वे हैं भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

1. व्यवहार्य आर्थिक उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह सदस्य को प्रत्यक्ष बैंक वित्त पोषण का एक प्रदर्शनीय मॉडल लागू करना।

2. व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह सदस्य को बैंक वित्त प्रदान करने के लिए संरचित प्रक्रिया और प्रोटोकॉल स्थापित करना।

3. महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए बैंक वित्त की आवश्यकता के प्रति बैंक अधिकारियों और एसआरएलएम कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण और सजगता।

4. महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए ऋण उत्पादों का निर्माण/परिभाषित करना।

इससे स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को वित्त तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

(ख): बैंकों ने उद्यम वित्तपोषण में सहायता के लिए व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए विशेष ऋण की योजना बनाई है। बैंकों के साथ इन समझौता ज्ञापनों से व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह सदस्यों को उद्यम/व्यवसाय स्थापित करने और बढ़ाने के लिए किफायती और परेशानी मुक्त ऋण की सुविधा मिलेगी। ये उद्यम/व्यवसाय स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आय में वृद्धि करेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देंगे।

(ग): डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला उद्यमियों को किफायती और समय पर ऋण उपलब्ध कराना है, जिससे कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार की आजीविका को सहायता मिल सके। ये समझौता ज्ञापन स्वयं

सहायता समूहों की महिला उद्यमियों को उद्यमों के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। डीएवाई-एनआरएलएम जैसी योजनाओं के साथ एकीकरण करके, ये समझौता ज्ञापन एक सुसंगत कार्यनीति बनाते हैं जो उद्यमियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है और ग्रामीण उद्यमों की स्थिरता को बढ़ाता है।

(घ): लखपति दीदी पहल डीएवाई-एनआरएलएम का परिणाम है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के दृष्टिकोण से सीधे जुड़ा हुआ है। लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य है, जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) हैं और औसत मासिक आय कम से कम 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) हैं, जो कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों के लिए कायम है।

ग्यारह बैंकों के साथ साझेदारी के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरल कागजी कार्रवाई के साथ किफायती ऋण लेने के लिए एक विश्वसनीय चैनल बनाया गया है। उद्यमिता को बढ़ावा देने की इस पहल से लखपति दीदीयां बनाने में भी मदद मिलेगी।